

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.VPSEC/R/P/24/00040

Applicant Name Arvind Kumar
Text of Application R.T.I. application as per the provisions of the R.T.I. Act, 2005
Reply of Application RTI application has been replied to as per the provisions of the RTI Act, 2005

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	19/07/2024	Sunita Xess - (SCPIO)	
2	REQUEST DISPOSED OF	26/07/2024	Rajesh Kumar Sharma- (CPIO)	

Print

SPEED POST
26/7/24

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/14/2024-2025

24 जुलाई, 2024

श्री अरविंद कुमार
डबल्यू जेड-29, असालतपुर,
जनकपुर, नई दिल्ली-110058

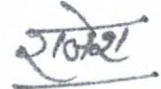
विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 28.06.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 01.07.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रुपये का पो.आ.सं. 64एफ 751533 संलग्न कर अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका दिनांक 03.04.2024 का आवेदन दिनांक 22.05.2024 को श्रीयुत उपायुक्त दिल्ली पुलिस, जिला-द्वारका, दिल्ली एवं श्रीयुत सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रतियां संलग्न) तथा उसकी एक-एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

अतः आपको पुनः सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्रीयुत उपायुक्त दिल्ली पुलिस, उपायुक्त दिल्ली पुलिस द्वारका, द्वारका सैक्टर-19, दिल्ली-110075 एवं श्रीयुत सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के कार्यालयों से संपर्क करने का कष्ट करें।



(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

rticell-vps@nic.in

राजेश कुमार शर्मा
RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001
TEL. 23094953, 23094954

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2023(ह)-प्रशासन

22 मई, 2024

श्रीयुत उपायुक्त दिल्ली पुलिस,
उपायुक्त दिल्ली पुलिस कार्यालय द्वारका,
द्वारका सैक्टर-19, दिल्ली-110075

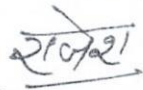
प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री अरविंद कुमार, डबल्यू जेड-29 असाहतपुर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 का दिनांक 03.04.2024 का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 18.04.2024 को प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,


(राजेश कुमार शर्मा)

राजेश कुमार शर्मा
RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2024(ह)-प्रशासन

22 मई, 2024

श्रीयुत सचिव,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग
नई दिल्ली -110001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री अरविंद कुमार, डबल्यू जेड-29 असाहतपुर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 का दिनांक 03.04.2024 का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 18.04.2024 को प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,

ह/-

(राजेश कुमार शर्मा)

प्रति सूचनार्थ :- श्री अरविंद कुमार, डबल्यू जेड-29 असाहतपुर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्रवाई हेतु उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

(राजेश कुमार शर्मा)

सूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत

VPSEC-SS/RTI-14/
2024-2025.

सेवाये

महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय

उपराष्ट्रपति भवन कलकत्ता

भारत सरकार

नई दिल्ली 110001



माननीय महोदय,

भ्रष्टाचार समाप्ति व पारदर्शिता लाने के लिए बनाये गये कानूनी के अन्तर्गत रु.10/-
(रुपये दस मात्र) का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है, सूचना प्रमाणित प्राप्ति में देवे।

1. संलग्न पत्र दिनांक 30/07/24 को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित है।

2. श्री 0 उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा लिये गये निर्णयों / जाँच / आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।

पोस्टल ऑर्डर नं० संलग्न 64 F - 751533

दिनांक 28/06/24

प्रार्थी,

अरवि कुमार
W228 अकादमिक
010521 नई दिल्ली
110058

M - 9315929735

DSR/895
02.07.24

b87

Val
व्यक्ति

EO (6)

सेवाये

महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय

उपराष्ट्रपति भवन सायाजी

भारत सरकार

नई दिल्ली 110045

विषय : देश के लगभग 40 (चालीस) लाख ई-रिक्शा यात्रियों, चालकों व स्वेपिंग स्टेशन ऑपरेटरों का जीवन खतरे में तथा सरकार मूक दर्शक ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान अपग्रिड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट - 17, द्वितीय तल, खसरा नं० 31/24/17/14 और 2, हरिजन बस्ती, सेक्टर - 7, द्वारका, नई दिल्ली - 110045 की तरफ दिलाना चाहूंगा जो कि बैटरी स्मार्ट ब्राण्ड से देश के विभिन्न भागों में ई-रिक्शों में लिथियम बैटरियाँ किराये पर लगाने का कार्य कर रही है। आपका ध्यानाकर्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर करवा रहा हूँ :-

1. कम्पनी द्वारा खोले गए स्टेशनों पर फायर का लाईसेंस नहीं है।
2. रिहाइशी इलाकों में स्टेशन खोल जा रहे हैं जिसमें आग लगने व लोगों की जानमाल का खतरा बरकरार है।
3. कम्पनी द्वारा इस्तेमाल की जा रही ज्यादातर बैटरियाँ पुरानी, निम्न गुणवत्ता व खतरनाक हैं। आग लगने व फटने का खतरा बना रहता है।
4. बैटरियों में आग लगने से सवारी व चालक की जान जा सकती है।
5. कम्पनी द्वारा इस्तेमाल की जा रही ज्यादातर बैटरियाँ सड़क परिवहन एण्ड हाइवे मंत्रालय के दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।
6. बेहद घटिया पुरानी व खतरनाक बैटरियों को ई-रिक्शा में लगाया जा रहा है।
7. भारत सरकार द्वारा पहले ही AIS-156 अथवा AIS-038 (REV-2) 31 मार्च, 2023 (फेस - II) के लिए दिशा निर्देश दिये हुए हैं।
8. उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है।
9. ज्यादातर ई-रिक्शों में पुरानी तकनीक की बैटरियाँ लगी हुई हैं।
10. कम्पनी द्वारा बिना I-CAT अप्रूवड ई-रिक्शों में तथा बिना रजिस्ट्रेशन की ई-रिक्शों में भी कनेक्शन लगाकर अपना मुनाफा कमाने के लिए देश के लाखों लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ किया जा रहा है।

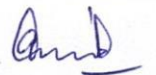
11. कम्पनी द्वारा दिशा - निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कम्पनी संचालकों व कम्पनी के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
12. कम्पनी के द्वारा खोले गये स्वैपिंग स्टेशनों पर फायर विभाग का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। जिसके कारण आये दिन स्वैपिंग स्टेशनों में आग लगती रहती है। इन स्वैपिंग स्टेशनों की जाँच कर तत्काल प्रभाव से बन्द कराया जाए।
13. स्वैपिंग स्टेशनों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई स्वैपिंग स्टेशन खोलने की अनुमति नहीं है।
14. स्वैपिंग स्टेशनों पर न तो कोई GST No. है ना ही कोई GST Bill की पर्ची कटती है।
15. आशंका है कि GST की चोरी भी हो रही है।
16. कम्पनी द्वारा मुनाफा कमाने हेतु बिना रजिस्ट्रेशन वाली ई - रिक्शाओं में बैटरी कनेक्शन देकर यातायात विभाग व सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा - निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा है।
17. कम्पनी द्वारा ई - रिक्शों में इस्तेमाल की जाने वाली INSTALATION KIT भी I-CAT अप्रूवड नहीं है।

महोदय इन 17 बन्दुओं पर आपका ध्यानाकर्षण चाहता हूँ कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन कम्पनी द्वारा नहीं करने पर कम्पनी व उसके संचालकों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करके लाखों लोगों की जिन्दगियों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। आपका आभारी रहूंगा।

महोदय मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं कम्पनी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। कम्पनी मेरे साथ कोई भी हादसा करवा सकती है। यदि भविष्य में मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उपरोक्त कम्पनी की होगी।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,



अरविन्द कुमार

WZ-29, अशोकपुर,
जमवपुरी, नई दिल्ली-110058.
(9315929735)